COURT FEE 10 Rs. 10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE 5 रु. Rs. 5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(203)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2011 जिला–शिवपुरी R-1311-III/2011

कल्याण सिंह पुत्र श्री नत्थूराम कुशवाह, निवासी– ग्राम निजामपुर तहसील नरवर, जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

(1) श्रीलाल पुत्र श्री हरज्ञान बघेल
(2) गंगाराम पुत्र श्री हरज्ञान बघेल
(3) कल्याण पुत्र श्री हरज्ञान बघेल
(4) महिला सहोदरा पत्नी श्री गंगाराम बघेल
निवासीगण– ग्राम निजामपुर तहसील नरवर, जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 538/08–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 07.02.2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम निजामपुर तहसील नरवर में स्थित कृषि भूमि सर्वे नं. 861/2 914, 916/1 जो कि आवेदक के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेख में दर्ज थी और चूंकि आवेदक वर्ष 2000–2001 में नाबालिग था व आवेदक के अवयस्क रहते अधीनस्थ न्यायालय तहसील नरवर के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि पर अपना नाम इन्द्राज कराने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया।

2– यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नरवर द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि को अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 31.01.2000 को पारित किया गया।

3– यहकि, आवेदक के नाबालिग रहते हुए यथासमय उसके द्वारा तहसीलदार नरवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2000 (प्रकरण क्रमांक 14/99–2000/अ–5) के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की गई, परन्तु आवेदक के वर्ष 2006 में बालिग/वयस्क होने पर आलोच्य आदेश दिनांक 31.01.2000 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थीं।

4– यहकि, अनुविभागीय अधिकारी करैरा द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर विचार किये बिना

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1311 III/11 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-5-17	आवेदक अधि. श्री के.के. द्विवेदी उप.। अना. पूर्व से एकपक्षीय है। रिकार्ड मंगाया जाय। C.F 24-8-17 आसाय	24.8.17
27/6/17	आवेदक अभि० श्री- के०के० द्विवेदी- उपस्थित। उनके द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि- प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। 2- आवेदक अभि० का निवेदन स्वीकार किया जाता है प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।	27.6.17